

**फरद अहकाम**

(नियम 26)

जिसका नाम सरदार गणेश सिकराय .....  
 सरकार बनाम मुरारी .....  
 जिन मुकदमा बारा मु० नं० 136/19 .....

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए   |
|---|--|
| <p>119</p> <p>सरकार सरकार सिकराय के द्वारा हुक्म जारी किया गया। रात 8-5-19 को मुरारी को जमानत दी गई।</p> <p>8-5-19 से मुरारी को जमानत दी गई।</p> <p><i>(Signature)</i><br/>                 सरदार गणेश<br/>                 सिकराय जिला बारा</p>  |  |
| <p>5/04/19</p> <p>पञ्जाबली पेशवाड़ी परीकार सरकार<br/>                 उपस्थित। परीकार सरकार को जमानत<br/>                 परीकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में<br/>                 बताया कि प्रकरण का निष्पत्ती<br/>                 वहील सिकराय लेकर डिमा गवाही<br/>                 की स्थिति में प्रकरण भापालम<br/>                 में चलने योग्य नहीं है।<br/>                 अतः प्राचीन प्रार्थना पर धारा<br/>                 136 खारिज किया जाता है।<br/>                 पञ्जाबली फौजल सुकरा दोकर<br/>                 नं. ले कम है।</p> <p><i>(Signature)</i><br/>                 21/4/19<br/>                 सरदार गणेश<br/>                 सिकराय जिला बारा</p> | <p>पञ्जाबली पेशवाड़ी परीकार सरकार<br/>                 उपस्थित वहील सिकराय ले<br/>                 कर रिपोर्ट गवाही है।<br/>                 प्रकरण का निष्पत्ती परामर्श</p> <p>2/4/19</p> |